PYRAMID INFRATECH PVT. LTD.

Fusion Homes

2 BHK ₹ 24 Lakhs onwards | Sector 70 A, Gurugram

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी

टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल : https://pmaymis.gov.in

REGISTERED HRERA

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की दिनांक **19/08/2013** की अधिसूचना सं **PF-27/48921** और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तो पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधरण से आवेदन आमंत्रित किए जाते है। (विवरण विभागीय वेबसाईट **www.tcpharyana.gov.in** पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	कॉलोनाइजर / डेवलपरः पिरामिड इन्फ्राटेक प्रा. लि लाइसेंस नं. **84 of 2018** दिनांक **10.12.2018** रेरा सं. RC/REP/HARERA/GGM/316/48/2019/10 of 2019 दिनांक: **21.02.2019** प्रोजेक्ट स्वीकृति (भवन योजना) दिनांक **23.01.2019** दिनांक **23.01.2019** वाइड मेमो सं. ZP-1270/AD(RA)/2019/2206 इन्वाइरन्मन्ट क्लियरन्स : **30-08-2019**
स्थान	सेक्टर 70A, गुरूग्राम, हरियाणा
प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी	प्रोजेक्ट क्षेत्रफल 5.11875 एकड़
	अपार्टमेंट संख्या 738 (उपलब्ध 5)
	टॉवर सं 7
	प्रावधान विक्रय मूल्य (कार्पेट एरिया पर) – 4000/– प्रति स्क्वायर फुट (बालकनी मूल्य अतिरिक्त 500/– प्रति स्क्वायर फुट)
अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर,और भुगतान के नियम	समुदाय सुविधाएं - एक सामुदायिक भवन और एक आंगनवाड़ी-सेह-क्रेच। खुली जगह, लिफ्ट, दो पहिया वाहन पार्किंग

सं	कैटेगरी	टाइप	युनिट संख्या	कार्पेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	विक्रय मूल्य (₹)	आवेदन के साथ बुकिंग राशि (5)
1.	2BHK	A	05	591.15	100.00	24,14,600	1,20,730

आवेदन की समय सीमाएँ

1) **आवेदन पत्र दिनांक 12/06/2020** से आवेदन शुल्क 1000 रूपये का भुगतान कर **डेवलपरः पिरामिड इन्फ्राटेक प्रा.लि.**, 217ए, 217बी तृतीय तल, सनसिटी बिज़नेस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुरूग्राम से प्राप्त किया जा सकता है। **अंतिम तारीख 22.06.2020**

अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण

• ड्राइंग/ लॉबी फ़्लोरिंगः टाइल्स/ आईपीएस • ड्राइंग/ लॉबी दीवार छतः ओबीडी/ कलर वॉश • बेडरूम फ़्लोरिंगः टाइल्स/ आईपीएस • बेडरूम की दीवार की छतः ओबीडी/ कलर वॉश • शौचालय की दीवार और शैचालय फर्शः टाइल्स 4 फीट और ओबीडी/ कलर वॉश शेष एरिया में टाइल्स/ आईपीएस • रसोई फर्शः टाइल्स/ आईपीएस • रसोई की दीवारः पत्थर/ टाइल्स काउंटर के ऊपर 2 फीट ऊंची टाइल्स और शेष क्षेत्र में ओबीडी/ कलर वॉश • फिक्स्चर और फिटिंगः एकल बाउल स्टील सिंक और सीपी/ पीवीसी फिटिंग • बालकनी फ़्लोरिंगः टाइल्स/ आईपीएस • विंडोः हार्डवुड/ एमएस जेड-सेक्शन/ फाइबर/ कम्पोजिट/ एल्यूमीनियम/ फ्रेम विंडो आदि। • डोर फ्रेम/ दरवाजेः फ्रेम-हार्डवुड/ एम। एस।/ फाइबर दरवाजे-कम्पोजिट/ फाइबर/ एल्यूमीनियम/ फ्लश दरवाजे आदि। • सामान्य क्षेत्र फ़्लोरिंगः पत्थर/ टाइल्स/ आईपीएस • लिफ्ट लॉबीः स्टोन/ टाइल्स/ आईपीएस • चाइनावेयरः स्टैंडर्ड फिटिंग • विद्युतः आईएसआई प्रमाणित उत्पाद तारों, स्विच और सर्किट के लिए • सुरक्षाः गेटेड कॉम्प्लेक्स

पेमेन्ट प्लॉन

सं	विवरण	भूगतान की प्राक्रिया
1.	आवेदन के समय	कुल बिक्री मूल्य का 5%
2.	आवंटन पत्र जारी होने के 15 दिन के भितर	कुल बिक्री मूल्य का 20%
3.	प्रथम आवंटन पत्र जारी होने के 06 महीने के भितर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
4.	प्रथम आवंटन पत्र जारी होने के 12 महीने के भितर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
5.	प्रथम आवंटन पत्र जारी होने के 18 महीने के भितर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
6.	प्रथम आवंटन पत्र जारी होने के 24 महीने के भितर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
7.	प्रथम आवंटन पत्र जारी होने के 30 महीने के भितर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
8.	प्रथम आवंटन पत्र जारी होने के 36 महीने के भितर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%

*** प्रथम आवंटन की तिथि 16.05.2019**

पुनः आवंटन की दशा में नये आवंटी द्वारा मूल आवंटन से लेकर पुनः डा की तिथि तक देय राशी का भुगतान करना होगा। मूल आवंटी पर लागू भुगतान योजना के अनुसार ही बाद की किस्तें देय होगीं ।

योग्यताः

1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर संविदा करने पर रोक नहीं हो।

2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालांकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता पीएमवाई लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं। जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। ऐसे सभी आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवंटन योग्य नही माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानकः

1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी) वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे।

2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे।

3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट www.tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

जानकारी के लिए कॉल करे
+ 91 9911971197

पिरामिड इन्फ्राटेक प्रा. लि., 217ए, 217बी तृतीय तल, सनसिटी बिजनेस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुरूग्राम

सच्चाई को छुपाना दिल्ली सरकार की फितरत : आदेश

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बयान जारी कर कहा है कि कोविड-19 समर्पित एलएनजेपी अस्पताल में एक बार फिर से शवों को वार्ड में मरीजों के बीच, लॉबी, वेटिंग एरिया में रखे जाने का मामला सामने आया है। गुप्ता ने कहा कि सच्चाई को दबाकर रखना दिल्ली सरकार की फितरत बन गई है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार किसी भी स्तर पर जा सकती है। अस्पताल और दिल्ली सरकार के बयानों में मतभेद से साफ जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शवों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार को लेकर अभी भी दिल्ली सरकार गंभीर नही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना कर रही है।

स्पोर्ट्स कोटे में ज्यादा सीटों पर होंगे दाखिले

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली यूनिवर्सिटी में सत्र 2020-21 के ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे के दाखिले इस बार बदले हालात में होंगे। डीयू ने इस बार दोनों कोटे के दाखिले में ट्रायल खत्म कर दिया है। साथ ही ईसीए कोटे के दो कैटेगरी को छोड़कर सभी कैटेगरी को खत्म कर दिया है।

ऐसे में इस बार कॉलेज स्पोर्ट्स कोटे में ज्यादा दाखिले की योजना बना रहे है। एक कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि इस बार कॉलेज तीन की जगह चार फीसद सीटें स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिले की योजना बना रहा है। दाखिले को लेकर बृहस्पतिवार को कॉलेज प्राचार्यो की हुई बैठक में यह बात कही गई।

दाखिले को लेकर बृहस्पतिवार को कॉलेज प्राचार्यो की हुई बैठक

बता दें कि डीयू से संबद्ध हर एक कॉलेज में स्पोर्ट्स और ईसीए कोटे में पांच फीसद सीटें होती है। अभी तक कॉलेजों में तीन फीसद सीटें स्पोर्ट्स और दो फीसद सीटें ईसीए कोटे के लिए रखी जाती थी। लेकिन इस बार डीयू ने ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे के दाखिले में ट्रायल खत्म कर दिए है। ईसीए कोटे में दो कैटेगरी को छोड़कर सभी अन्य कैटेगरी मसलन डांस, सिंगिंग, ड्रामा, क्रिएटिव राइटिंग, डिविनिटी आदि कैटेगरी को हटा दिया है। ऐसे में इस बार स्पोर्ट्स और ईसीए के दाखिले मेरिट यानी सर्टिफिकेट्स के आधार पर होने है। बता दें कि डीयू में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जून से 4 जुलाई तक होने है। इसके बाद सीबीएसई के नतीजे आने के बाद दोबारा पोर्टल खोले जाएंगे। इसके बाद कट आफ लिस्ट जारी की जाएगी।

शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी से करें मुक्त : सिंह

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ (जीएसटीए) ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से कोविड-19 ड्यूटी से मुक्त किया जाना चाहिए। संघ की ओर से कहा गया कि उचित प्रशिक्षण न होने के कारण हमारे कई साथी कोरोना का शिकार बन चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित होकर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा है कि कोरोना ड्यूटी के कारण दिवंगत प्रत्येक साथी के परिवार को तुरंत एक करोड़ रुपए की राशि तथा आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए।

ओपन बुक परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली, (एसएनबी)। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने बृहस्पतिवार को एसएफआई, पछास, कलेक्टिव एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने के निर्णय के खिलाफ आर्ट्स फैकल्टी पर प्रदर्शन किया। इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान सभी सुरक्षात्मक एहतियात जैसे सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन किया गया। संगठन के राज्य समिति सदस्य सर्वेश राय ने कहा कि विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालय विभागों, डूटा और छात्र संगठनों द्वारा करवाए गए सर्वे में छात्रों और शिक्षकों ने ओपन बुक परीक्षा के प्रति अपनी व्यापक समस्याए जताई हैं। इन सर्वेक्षणों से साफ जाहिर है कि न छात्र और न ही शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में हैं।

छेड़छाड़ के आरोपी ने भाई-बहन को पीटा, अंगुली भी काटी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

छेड़छाड़ के आरोपी ने घर में घुस कर पीड़िता के साथ मारपीट की साथ ही उसके भाई की अंगुली भी काट डाली। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र में 12 जून की रात को हुई। आरोपी फरार है। आरोपी इससे पहले भी एक बार घटना को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस उसे रोकने में असमर्थ रही है। पीड़िता अपने परिवार के साथ जैतपुर इलाके में रहती है। आरोपी का उसके परिवार के साथ पैसों का लेन-देन रहता था। इसी वजह से 2016 में उसका पीड़िता के परिवार के साथ झगड़ा हो गया था। मामला कोर्ट में चल रहा है। केस वापस लेने के लिए आरोपी पीड़िता के परिवार पर दवाब बना रहा था। इसके चलते 2017 में आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। 2017 के बाद से आरोपी पीड़िता को परेशान कर रहा है। आरोपी कभी भी नशे के हालात में उनके घर पर आकर गाली गलौच करता है। इसी कड़ी में 12 जून की दोपहर को वह पीड़िता के घर के बाहर आकर पत्थर बरसाने लगा। इसी दौरान पीड़िता का भाई उसे रोकने के लिए बाहर आया तो उसने उस पर हमला कर दिया और उसे लिए दिए

आरोपी का उसके परिवार के साथ पैसों का लेन-देन रहता था

आरोपी वर्ष 2017 से ही पीड़िता को कर रहा परेशान

इसके पूर्व शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाइ

यूजीसी ने पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की राशि बढ़ाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (पीडीएफ) की राशि बढ़ा दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू की गई है। यूजीसी ने यह अहम फैसला अपनी 546वीं मीटिंग में लिया। यूजीसी ने विज्ञान, समाज विज्ञान व मानविकी विषयों में शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों की फेलोशिप में बढ़ोत्तरी की है। पीडीएफ शोधार्थियों की फेलोशिप में बढ़ोत्तरी किए जाने पर 'फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फ़ॉर सोशल जस्टिस' ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहे शोधार्थियों को लाभ मिलेगा और इससे शोध को बढ़ावा मिलेगा।यूजीसी ने पीडीएफ के अंतर्गत जिन स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की है। उनमें डीएस कोठारी (पीडीएफ, तीन साल के लिए), डॉ. इसमें 10 से 20 फीसदी दामों में बढ़ोत्तरी की है। फोरम के अध्यक्ष डॉ. सुमन ने बताया कि डीएस कोठारी 43 हजार 400 रुपए (पहले साल) 45 हजार रुपए (दूसरे साल) 46 हजार 500 रुपए (तीसरे साल) के अलावा 1 लाख रुपए की कंटेंजेन्सी हर साल दी जाती थी। अब उन्हें 47 हजार रुपए (एक साल) 49 रु पए (दूसरे साल) 54 हजार रुपए (तीसरे साल) के अतिरिक्त 1 लाख रुपए प्रति साल केंटनजेन्सी के दिए जाएंगे। इसी तरह डॉ. राधाकृष्णन पीडीएफ (तीन साल के लिए) इसमें पहले 38 हजार रुपए (एक साल) 40 हजार 300 रुपए (दूसरे साल) 41 हजार 900 रुपए (तीसरे साल) के अतिरिक्त 50 हजार रुपए केंटनजेन्सी के हर साल दिए जाते थे। अब उन्हें 47 हजार रु पए (एक साल) 49 हजार रुपए (दूसरे साल

स्कॉलरशिप में बढ़ोत्तरी किए जाने की फोरम ने खुशी जाहिर की है